उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकृत संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, (सुजानपुरा) ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ

रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
प्रदेश अध्यक्ष
सम्पर्क ☎ : 0551-2241716, मो0: 9415548535
पत्राचार : मो0 तिवारीपुर, निकट गायत्री मन्दिर, गोरखपुर

अवधेश सिंह चौहान
प्रदेश महामन्त्री
सम्पर्क ☎ : 05872-252057, मो0: 9415172656
पत्राचार : डी.सी. रोड, मो0 सिकटिहा, लखीमपुर-खीरी

* उपाध्यक्ष गण *

हरदेव शर्मा
(पश्चिमी जोन)
मो. 09412869499

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
मो. 09450223683

पुट्टी लाल यादव
(पूर्वी जोन)
मो. 09450088433

* कोषाध्यक्ष *

अमलेश कुमार शर्मा
मो. 09837062257

* संगठन मंत्री गण *

कृष्ण कुमार सिंह
(पश्चिमी जोन)
मो. 09058499749

सुशील कुमार श्रीवास्तव
(मध्य जोन)
मो. 09415525914

इफ्तखार अहमद
(पूर्वी जोन)
मो. 09450548706

* आडीटर *

राज किशोर अवस्थी
मो. 09936642639

पत्रांक :   दिनांक 09/03/15

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय
राजस्व परिषद, लखनऊ।

विषयः- <u>प्रदेश के राजस्व लेखपालों के ऊपर पूर्व से अत्यधिक कार्यों के बोझ को दृष्टिगत रखते हुए एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2000 तथा पूर्व में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड निर्माण हेतु सूचियों का सत्यापन व प्रपत्र भरने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि आपका ध्यान उक्त विषय की ओर आकृष्ट कराते हुए सादर अवगत कराऊँ कि संस्था के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के राजस्व लेखपालों को ग्राम विकास विभाग के कार्मिकों के साथ संयुक्त रूप से राशन कार्ड के निर्माण के कार्य में जिला प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है। यह कार्य पूर्ण कालिक है और पर्याप्त समय की आवश्यकता रहेगी। इस कार्य को सदैव से ही ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाता रहा है। पूर्व में भी लेखपालों द्वारा इस कार्य को नहीं किया गया था, अपितु संस्था द्वारा बहिष्कार किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि संवर्ग के सभी सदस्यों को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ वर्तमान समय में लोहिया ग्रामों में वर्णित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तालाब/पशुचर भूमियों आदि की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने, रबी पड़ताल, तहसील दिवसों के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण माननीय राजस्व परिषद के निर्देशो के अनुपालन में अविवादित वरासतों का समयबद्ध निस्तारण करने हेतु ग्राम एवं मजरेवार खतौनी का सत्यापन आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन में अहम भूमिका रहेगी। उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध वार्षिक गणना रजिस्टर से आय के स्तम्भ को भी भरा जा सकता है। ग्राम स्तर पर रोजगार सेवक आदि उपलब्ध हैं।

संस्था के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में उक्त पदीय कार्यों एवम् मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 25.04.2000 को अनदेखा करके अन्य विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशनकार्ड के निर्माण आदि में लेखपालों की ड्यूटी लगायी जा रही है, उक्त पूर्णकालिक कार्य में लेखपाल की ड्यूटी लगाने से मूलभूत उपरोक्त कार्य प्रभावित होना स्वाभाविक है। प्रदेश के समस्त लेखपाल मा0 राजस्व परिषद के नियन्त्रणाधीन है और माननीय राजस्व परिषद ही विभागाध्यक्ष हैं। विगत वर्षों से बिना राजस्व परिषद की अनुमति/संज्ञान में लाये शासन के अन्य विभागों द्वारा अपने

शेष पृष्ठ-2-पर

विभाग के कार्यों के सम्पादन में लेखपाल संवर्ग से कार्य करने के निर्देश/अपेक्षायें प्रसारित हो रही है, यह विचारणीय बिन्दु है। राशनकार्ड आदि निर्माण में लेखपाल की ड्यूटी लगाये जाने से संवर्ग में भयंकर असंतोष व्याप्त हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों एवम् परिस्थितियों तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 19538/2000 उ0प्र0 लेखपाल संघ जनपद शाखा फतेहपुर बनाम उ0प्र0 सरकार पारित निर्णय दिनांक 25.04.2000 (संलग्न छायाप्रति) को अनदेखा करके उक्त कार्य में लेखपाल संवर्ग की ड्यूटी लगाने के कारण विवश होकर पूर्व से संस्था की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश के लेखपालों द्वारा उक्त कार्य को न करने हेतु पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था, जो यथावत् है। लेखपाल संवर्ग को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ वर्तमान समय में लोहिया ग्रामों में वर्णित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तालाब/पशुचर भूमियों आदि की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने, रबी पड़ताल, तहसील दिवसों के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण माननीय राजस्व परिषद के निर्देशो के अनुपालन में अविवादित वरासतों का समयमद्ध निस्तारण करने हेतु ग्राम एवं मजरेवार खतौनी का सत्यापन आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन में अहम भूमिका रहेगी। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए लेखपालों को बाध्य न किया जाय और बहिष्कार के कारण लेखपाल संवर्ग इस कार्य को संपादित नहीं करेंगे।

अस्तु महोदय से अनुरोध है कि प्रदेश के राजस्व लेखपालों को खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड के निर्माण आदि के कार्य से मुक्त रखने हेतु सभी जिलाधिकारियों को अपने स्तर से यथोचित निर्देश अतिशीघ्र भेजने की कृपा करें।

महती कृपा होगी। शुभ आशाओं सहित सादर प्रेषित।

भवदीय

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामन्त्री

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

1. मा0 प्रमुख सचिव महोदय(राजस्व) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. मा0 प्रमुख सचिव महोदय खाद्य संस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदय राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी महोदयान् उ0प्र0।
4. समस्त केन्द्रीय पदाधिकारी/अध्यक्ष/सचिव जनपद शाखायें, उ0प्र0 लेखपाल संघ।

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामन्त्री

25.4.2000.

V.M.Sahai.

Writ Petition No. 19538 of 2000.
Distt. Fatehpur.

(Order on Petition)

1. Uttar Pradesh Lekhpal Sangh, District Unit district Fatehpur, through its President—Sri Vinod Kumar Agnihotri, and three others.

1. State of U.P. through Revenue Secretary, Sachivalaya Lucknow and two others.

Heard Sri P.N. Saxena learned counsel for the petitioner and Sri K.S. Kushwaha, learned Standing counsel appearing for the respondents.

Learned Standing counsel is allowed two months time to file counter affidavit.

List thereafter.

In view of the letter dated 28.7.99 written by the chairman, Board of Revenue, U.P. Lucknow wherein it has clearly been mentioned that the Lekhpals are already over burdened of their work and it would not be possible to allot additional work to the Lekhpal. Cadre of Seenchpal has been abolished by the State Government and the works of Seenchpal are now being taken from the lekhpal as additional work. The State Government while deciding the representation of the petitioner dated 25.1.2000, has not considered the feasibility as to whether the works which were allotted to two persons, can be done by one person and without considering the letter of the chairman, Board of Revenue, has rejected the representation of the petitioner. Therefore, the petitioners are entitled for interim orders.

Until further orders of this court, Lekhpals shall not be allotted any additional work by the respondents, in pursuance of the scheme dated 12th April, 1999, Annexure No. 1 to the writ petition. Sd/- V.M.Sahai.

RP TRUE COPY 25.4.2000.

Section Officer
Judicial Deptt. High Court
Allahabad